HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 4803/2026

Akshay Tank S/o Suresh Kumar Khatik, Aged About 25 Years, R/o Bagariyo Ki Dhani, Near Ramdev Goshala, Athmeriya Police Station Bagru, Jaipur. (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohd Umar Farooq
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP Mr. Shubham Sain, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

21/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बगरू, जिला– जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 400/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(3), 109(1), भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तृतीय जमानत का आवेदन इन आधारों पर प्रस्तुत किया है कि पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत का आवेदन इस स्वत्रंता के साथ इस न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया था कि प्रार्थी/अभियुक्त आहत(पीड़ित) के कथनों के उपरांत जमानत याचिका प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। उनका तर्क है कि पीड़ित के कथन पीडब्ल्यू 1 ''एक्स'' के रूप में संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध कर लिए गए हैं और अपने प्रतिपरीक्षण में पीड़ित ने यह उल्लेखित किया है कि ''दिनांक 21.08.2024 को मेरे और अक्षय

की बातचीत हुई हो और उसके 15–20 जनों में झगड़ा हुआ हो इस संबंध में नहीं बताया था अजखुद कहा कि होश में आने के बाद बताया था।'' इससे यह स्पष्ट है कि 15–20 जनों में झगड़ा हुआ था और पीड़ित के जो चोटें आई हैं प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कारित चोटें नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी तर्क है कि पीड़ित को कारित चोटें चिकित्सक द्वारा प्राणघातक होना उल्लेखित नहीं की गई है, अपितु गंभीर प्रकृति की होना प्रकट किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.08.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में विचारण के दौरान अभी तक मात्र पीडब्ल्यू–1 ''एक्स'' के कथन ही लेखबद्ध हुए हैं। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को पीड़ित के कथन एवं उसकी लंबी अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में पीड़ित ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर सरिये से वार करना बताया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत का आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2024 के अध्ययन से पीड़ित को कारित चोटों का पूर्ण विवरण उल्लेखित करते हुए और उसके अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को विर्णित करते हुए अस्वीकार किया है। तदुपरांत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पीडब्ल्यू–1 ''एक्स'' पीड़ित ने अपने बयानों में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण में ऐसा प्रकट नहीं हुआ है कि पीडब्ल्यू–1 ''एक्स'' ने अभियोजन पक्ष के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है उसके कथन विश्वसनीयता नहीं रखते हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने पीड़ित के सिर पर सरिया से प्रहार कर उपहतियां करित की हैं। इस संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2024 के अध्ययन से विस्तार से पीड़ित

को कारित चोटों का उल्लेख करते हुए उसके आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत याचिका अस्वीकार की गई है।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में पीड़ित ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सरिये से मारपीट करना और उसका बेहोश होना बताया है। इस प्रक्रम पर प्रकरण में साक्षी की साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किए जाने की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। प्रकरण में पीडब्ल्यू–1 ''एक्स'' द्वारा दिए गए मुख्य परीक्षण के कथनों व पीड़ित के चिकित्सकीय प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अक्षय टाक पुत्र सुरेश कुमार खटीक** की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /28